VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(16 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- **2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे में 2.2 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत**
- **यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम का राजनीतिक दलों पर लागू होने का मामला**
- **भारत के लिए अमेरिका एक प्रमुख निर्यात गंतव्य**
- **MCQ**

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर GDP के लिए बुनियादी ढांचे में 2.2 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत:

चर्चा में क्यों है?

- भारत की शीर्ष रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनियों में से एक, नाइट फ्रैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट, *"इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर: रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स"* में बताया है कि भारत को 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे में 2.2 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के के लिए अर्थव्यवस्था को 2024 और 2030 के बीच 10.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) बनाए रखना होगा।

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की घटती भूमिका:

- हालांकि, यह रिपोर्ट एक बढ़ती चुनौती को भी रेखांकित करती है। बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी 2009-13 में 160 अरब डॉलर (कुल बुनियादी ढांचा निवेश का 46.4%) से गिरकर 2019-23 में सिर्फ़ 39.2 अरब डॉलर (7.2%) रह गई है। इस महत्वपूर्ण गिरावट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर भारी बोझ डाला है, जिससे राजकोषीय दबाव बढ़ गया है।
- उल्लेखनीय है कि सरकारें बुनियादी ढांचे पर खर्च को तेजी से बढ़ा रही हैं, ऐसे में राजकोषीय घाटे के प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- इसमें कहा गया है कि महत्वाकांक्षी निवेश लक्ष्यों और एक स्थायी राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रभावी ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

बुनियादी ढांचे के विकास में निजी भागीदारी को लेकर रिपोर्ट में दो परिदृश्य:

- रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक अपने सकल राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करना है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी भागीदारी के लिए निवेश का अवसर 103.2 अरब डॉलर से लेकर 324 अरब डॉलर के बीच है। जैसा कि नीचे दिए गए परिदृश्यों में बताया गया है।

परिदृश्य 1:

- केंद्र (51.2%), राज्य (44.1%) और निजी (4.7%) की मौजूदा निवेश हिस्सेदारी संरचना पर, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी भागीदारी 2030 तक 103.2 अरब डॉलर है। हालांकि 2030 में अनुमानित सकल राजकोषीय घाटा अभी भी 4.7% होगा, जो सरकार द्वारा परिभाषित राजकोषीय घाटे की सीमा से ऊपर है।

परिदृश्य 2:

- बुनियादी ढांचे में निजी निवेश में 10% की वृद्धि करके इसे 14.7% करने से संभावित अवसर राशि 324 अरब डॉलर हो जाती है, जो 2030 तक 54 अरब डॉलर का वार्षिक औसत है। यह संभावित रूप से सरकार को स्वस्थ राजकोषीय संतुलन बनाए रखने में सहायता करेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- हालांकि यह मात्रा बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन सहकर्मी अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही इसी तरह के बड़े पैमाने पर निवेश किए जा रहे हैं। यह अभी भी COVID-19 महामारी से पहले चीन द्वारा प्राप्त निजी निवेश के वार्षिक औसत से कम है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी निवेश का वार्षिक औसत 118 अरब डॉलर था।

भारत के भौतिक अवसंरचना की चीन के साथ क्षेत्रवार तुलना:

- इस रिपोर्ट में, भारत के 2023 के अवसंरचना की तुलना चीन के 2007 से की है, जब दोनों का GDP आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2023 में, भारत रेलवे विद्युतीकरण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है, लेकिन 2007 में चीन की तुलना में बिजली उत्पादन, खपत, एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड रेल में पीछे है।

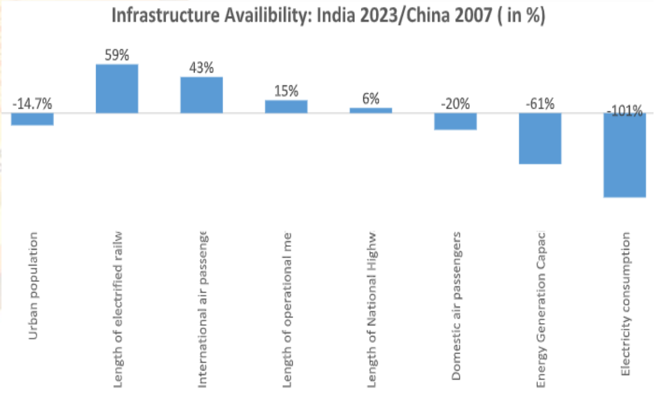

- 2000 के दशक की शुरुआत से चीन के महत्वपूर्ण अवसंरचना निवेश 2000-10 के बीच 10.2% की उच्च औसत जीडीपी वृद्धि दर से संबंधित हैं। भारत को अपने

महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बड़े पैमाने पर अवसंरचना निवेश आवश्यक है।

शहरी जन परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता:

- वर्तमान में, भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2013-23 के बीच, भारत में शहरी आबादी वैश्विक स्तर पर 8.4% की तुलना में 14% बढ़ी है। इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ा है।
- इस वृद्धि के लिए मेट्रो रेल, हाई-स्पीड रेल और इलेक्ट्रिक बसों जैसे जन परिवहन अवसंरचना का विस्तार करना आवश्यक है। क्योंकि अंतिम मील कनेक्टिविटी वाला एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है और 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, शीर्ष 8 शहरों में 848 किलोमीटर की परिचालन मेट्रो है, लेकिन मेट्रो रेल का महानगरीय क्षेत्र में अनुपात 0.03 है, जो एशिया के औसत 0.25 से कम है।
- हालांकि दिल्ली में वैश्विक मानकों के बराबर मेट्रो कनेक्टिविटी है, गुड़गांव, बेंगलुरु और हैदराबाद आदि जैसे अन्य शहरों को भी इसी तरह के विकास की आवश्यकता है।

भारत में बुनियादी ढांचे में निजी निवेश में चुनौतियाँ:

- वर्तमान में, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी अपर्याप्त रही है। 2009-13 के बीच, PPP मॉडल ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी प्रतिभागियों की रुचि को बढ़ाया। हालांकि, उस अवधि के बाद, निजी क्षेत्रों को कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी भागीदारी कम हो गई है।

परियोजना निष्पादन में देरी:

- परियोजना निष्पादन में देरी के कारण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में उभरी है, विशेष रूप से सड़क बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में।

राजस्व जोखिम और परियोजना का खराब प्रदर्शन:

- राजस्व जोखिम और परियोजना का खराब प्रदर्शन एक अन्य प्रमुख मुद्दे के रूप में उद्धृत किया गया है। यह उन परियोजनाओं में विशेष रूप से है जिनमें यातायात शामिल है जैसे - सड़क, शहरी परिवहन, हवाई अड्डे आदि। भारतीय महानगरों (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर) का उनके डीपीआर की तुलना में राजस्व कम प्रदर्शन इस मुद्दे को रेखांकित करता है।

वित्तपोषण की चुनौतियाँ:

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालीन वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर बैंकों और NBFC द्वारा प्रदान किया जाता है।
- हालांकि, लंबी परिपक्वता अवधि, उच्च जोखिम और कड़े ऋण मानदंडों के कारण, बैंक इस तरह के ऋण के लिए सीमित रुचि रखते है।
- इन परियोजनाओं की जटिलता, देरी, लागत में वृद्धि और विनियामक परिवर्तनों जैसे जोखिमों के साथ मिलकर, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की संभावना को बढ़ाती है। नतीजतन, बुनियादी ढांचे के लिए आक्रामक बल के बावजूद, वाणिज्यिक बैंकों और NBFC से ऋण वृद्धि कम रही है, वित्त वर्ष 2019-23 के बीच केवल 2.9% की CAGR के साथ।

सीमित फंडिंग तंत्र:

- भारत में बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग FDI, निजी इक्विटी, ईसीबी और इनविट जैसे उभरते तंत्रों पर निर्भर करती है।
- प्रमुख क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देने के बावजूद, FDI प्रवाह कम रहा है, जो वित्त वर्ष 2014-2024 तक कुल 84 अरब डॉलर रहा, जो 2023 में चीन के 164 अरब डॉलर से बहुत पीछे है।

अवसंरचना में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सिफ़ारिशें:

- भारत को कठोर नीतिगत उपाय अपनाने की जरूरत है, जो उपरोक्त जोखिमों को कम कर सकें और सक्रिय निजी भागीदारी को आमंत्रित कर सकें।
- इस रिपोर्ट में, कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

परियोजनाओं का फास्ट-ट्रैक अनुमोदन और स्पष्ट समयसीमा:

- परियोजनाओं का फास्ट-ट्रैक अनुमोदन और स्पष्ट समयसीमा के प्रावधान के माध्यम से परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन, सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना, प्रभावी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और कुशल परियोजना प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- सिंगापुर जैसे देशों में ये सक्रिय नीतियाँ हैं, जिसके कारण अधिकांश स्वीकृतियाँ छोटे पैमाने की परियोजनाओं के लिए 3-6 महीने और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए लगभग एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाती हैं।

परियोजनाओं की सरकारी गारंटी का प्रावधान:

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संबंधित जोखिमों को सरकारी गारंटी के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है जो निवेशकों को राजनीतिक, विनियामक, राजस्व और मांग जोखिमों से बचा सकता है, जिससे उनके निवेश पर न्यूनतम रिटर्न सुनिश्चित हो सके।

- इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आदि जैसी समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं में कुछ उपाय सक्रिय हैं। हवाई अड्डों, एमआरटीएस, एक्सप्रेसवे आदि में गारंटी के प्रावधान ने इन देशों में पीपीपी मॉडल के तहत सक्रिय निजी भागीदारी को सक्षम किया है।

दीर्घकालिक पूंजी को मजबूत करना:

- वर्तमान में, घरेलू ऋण देने वाली संस्थाएँ जिनमें वाणिज्यिक बैंक और NBFC शामिल हैं, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत हैं।
- वित्त वर्ष 2022-23 तक, भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बैंकों और NBFC का बकाया ऋण 150 अरब डॉलर था, जो दशक भर में 5.1% की CAGR से बढ़ा है।
- वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2022-23 के बीच के दशक में, भारत में SCB और NBFC द्वारा केवल 16 अरब डॉलर का वित्तपोषण जुटाया गया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में कुल निवेश (सार्वजनिक + निजी) का केवल 1.8% है।
- बुनियादी ढांचे पर केंद्रित वित्तपोषण संस्थान जैसे NaBFID, IIFCL, NIIF, आदि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन और वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनसे मिलने वाले पूंजी समर्थन को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अप्रयुक्त वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाना:

- वैश्विक समकक्षों के विपरीत, भारत में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बीमा और पेंशन फंड का उपयोग बहुत सीमित है।
- 30 सितंबर, 2024 तक नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत घरेलू पेंशन फंड कॉर्पस 12.96 लाख करोड़ रुपये है और ईपीएफओ के पास 21.3 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 23) का अतिरिक्त कॉर्पस भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए पर्याप्त वैकल्पिक फंडिंग अवसर प्रदान करता है।
- उल्लेखनीय है कि पेंशन फंड का दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की लंबी परिपक्वता अवधि से मेल खाता है, इस प्रकार यह दीर्घकालिक निवेश अवसर प्रदान करता है।
- स्पष्ट विनियमन और रिटर्न गारंटी के साथ, भारत में पेंशन फंड में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की बहुत अधिक संभावना है।

यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम का राजनीतिक दलों पर लागू होने का मामला:

चर्चा में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) राजनीतिक दलों पर लागू होना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह पहले भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) से संपर्क करें, क्योंकि वह "यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक आंतरिक तंत्र बनाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं" जो POSH अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।
- उल्लेखनीय है कि POSH अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने

की आवश्यकता होती है। वहीं जब राजनीतिक दलों की बात आती है तो आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की उपस्थिति असंगत है।

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून:

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, शिकायत और जांच के लिए प्रक्रियाएँ और कार्रवाई निर्धारित की गयी। इस अधिनियम ने प्रसिद्ध विशाखा वाद के दिशा-निर्देशों को व्यापक बनाया, जो पहले से ही लागू थे।

विशाखा वाद, 1997:

- विशाखा वाद से जुड़े दिशा-निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में एक निर्णय में निर्धारित किए गए थे। यह महिला अधिकार समूहों द्वारा दायर एक मामले में था, जिनमें से एक विशाखा भी थी।
- इन्होंने राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के कथित सामूहिक बलात्कार पर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसने 1992 में, उसने एक वर्षीय लड़की की शादी को रोका था, जिसके कारण बदले की कार्रवाई में वह सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

दिशा-निर्देश और कानून:

- विशाखा दिशा-निर्देश, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी थे, यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते थे और संस्थानों पर तीन प्रमुख दायित्व लगाते थे - निषेध, रोकथाम, निवारण। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन्हें एक शिकायत समिति स्थापित करनी चाहिए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखेगी।
- 2013 के अधिनियम ने इन दिशा-निर्देशों को व्यापक बनाया। इसने अनिवार्य किया कि प्रत्येक नियोक्ता को 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना चाहिए।
- इसने यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित किया और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया, जिसमें पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है, जो "किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं", जो "यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य का शिकार होने का आरोप लगाती है"।
- इसका मतलब यह था कि किसी भी कार्यस्थल पर काम करने वाली या जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकार, किसी भी क्षमता में, अधिनियम के तहत संरक्षित थे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

POSH अधिनियम किस पर लागू होता है?

- POSH अधिनियम में "कार्यस्थल" की परिभाषा व्यापक है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, संस्थान आदि शामिल हैं जो "उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए धन से स्थापित, स्वामित्व वाले, नियंत्रित या पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं", साथ ही निजी क्षेत्र के संगठन, अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल स्थल, घर और यहां तक कि "रोजगार के दौरान" किसी कर्मचारी द्वारा देखी जाने वाली जगहों को भी शामिल करता है।
- हालांकि, राजनीतिक दलों की बात करें तो अधिनियम को लागू करने की संभावना धुंधली हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जनहित याचिका दायर किए जाने से पहले, किसी अदालत ने इस प्रश्न को केवल एक बार संबोधित किया था जब केरल उच्च न्यायालय ने सेंटर फॉर कांस्टीट्यूशनल राइट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) के मामले का फैसला किया था।
- राजनीतिक दलों के विषय पर, न्यायालय ने माना कि उनके सदस्यों के साथ कोई "नियोक्ता-कर्मचारी संबंध" नहीं है और राजनीतिक दल "कार्यस्थल" (POSH अधिनियम के तहत) के विचार में कोई निजी उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापना आदि नहीं चलाते हैं। इस प्रकार, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दल "कोई आंतरिक शिकायत समिति बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

क्या POSH अधिनियम राजनीतिक दलों पर लागू हो सकता है?

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम) यह निर्धारित करता है कि राजनीतिक दल का पंजीकरण कैसे किया जाए। धारा 29A के तहत "भारत के किसी भी नागरिक या व्यक्तिगत संगठन को जो खुद को राजनीतिक दल कहता है" उसे ECI के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
- हालांकि, POSH अधिनियम महिलाओं को "कार्यस्थल" पर यौन उत्पीड़न से बचाने पर जोर देता है, जिसे राजनीतिक दल के लिए निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, पार्टी कार्यकर्ता, जिन्हें पार्टियां बड़ी संख्या में नियुक्त करती हैं, अक्सर उच्च-स्तरीय अधिकारियों के साथ कम बातचीत करते हैं और उन्हें बिना किसी परिभाषित "कार्यस्थल" के क्षेत्र में काम करने के लिए अस्थायी रूप से काम पर रखा जाता है।
- इसके अलावा, अगर न्यायालय या निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों पर POSH अधिनियम लागू करने का फैसला करता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि राजनीतिक दल के संदर्भ में "नियोक्ता" कौन है, क्योंकि नियोक्ता ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को संभालने के लिए ICC की स्थापना के लिए जिम्मेदार है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत के लिए अमेरिका एक प्रमुख निर्यात गंतव्य:

चर्चा में क्यों है?

- बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 77.5 अरब डॉलर के बराबर है, जो पिछले 30 वर्षों में 10.3 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि (CAGR) की वृद्धि दर को दर्शाता है।

उदारीकरण के बाद से अमेरिका को भारतीय निर्यात का ट्रेंड:

- इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 1991 से, जब भारत ने आर्थिक सुधार शुरू किए थे, तब से अमेरिका को भारत के निर्यात ने देश के समग्र निर्यात वृद्धि के समान ही गति पकड़ी है।
- विशेष रूप से, वित्त वर्ष 1999-2000 तक अमेरिका को निर्यात में वृद्धि भारत के समग्र निर्यात से अधिक थी। हालांकि, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्त वर्ष 2009-10 तक विकास को धीमा कर दिया।

- तब से, अमेरिका को निर्यात में वृद्धि लगातार समग्र निर्यात वृद्धि से आगे निकल गई है, जो भारतीय निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 तक, भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 18 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 1991-92 में 16.4 प्रतिशत से बढ़ा है, लेकिन अभी भी वित्त वर्ष 1999-2000 (वित्त वर्ष 2000) में 22.8 प्रतिशत के शिखर से नीचे है।
- अमेरिका कई प्रमुख भारतीय उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में, अमेरिका को निर्यात की जाने वाली शीर्ष पांच वस्तुओं में दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, मोती और कीमती पत्थर, पेट्रो उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और रेडीमेड वस्त्र शामिल हैं, जो कुल मिलाकर अमेरिका को किए जाने वाले कुल निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। अन्य उल्लेखनीय निर्यातों में यार्न, समुद्री उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं, जिनमें से बाद वाले को अन्य एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके बावजूद, रिपोर्ट में भारत के निर्यात बाजारों में विविधता लाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी एक गंतव्य पर निर्भरता कम की जा सके, खास तौर पर वैश्विक राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के मद्देनजर।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से लाभ के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता:

- आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने एक रिपोर्ट में कहा कि अभी तक अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत की तुलना में मेक्सिको, कनाडा और 10 देशों के दक्षिण-पूर्व एशियाई ब्लॉक आसियान को अधिक लाभ हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत 2018 में प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित टैरिफ के साथ की गई थी, के प्रमुख लाभार्थियों में मेक्सिको, कनाडा और आसियान देश शामिल हैं, जिनका सामूहिक रूप से अमेरिकी आयात में 57 प्रतिशत योगदान रहा।
- भारत भी एक महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में उभरा, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित अमेरिका को निर्यात में 36.8 अरब डॉलर की वृद्धि की थी।
- हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के साथ, विकसित हो रहा व्यापार परिदृश्य भारतीय उद्योग के लिए बहुत बड़े अवसर प्रदान करता है क्योंकि वह अब मेक्सिको, कनाडा, चीन और अन्य को लक्षित करके नए टैरिफ की योजना बना रहे हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- ऐसे में भारत को अपनी स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होगा और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन करना होगा, साथ ही घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिए लागत दक्षता और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना होगा।
- GTRI के अनुमानों के अनुसार 190 अरब डॉलर से अधिक द्विपक्षीय व्यापार संभावना के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका भारत के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संभावित ट्रम्प-नेतृत्व वाले व्यापार युग को संचालित करने के लिए भारत मामूली समायोजन के द्वारा आयात शुल्क को कम कर सकता है और राजस्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना औसत शुल्क को लगभग 10 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे "इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर: रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स" रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत को 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे में 2.2 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है।

2. बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी 2009-13 में कुल बुनियादी ढांचा निवेश का 46.4% से गिरकर 2019-23 में सिर्फ़ 7.2% रह गई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

2. भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की निवेश चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) परियोजना निष्पादन में देरी के कारण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

(b) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालीन वित्त पोषण की समस्या।

(c) राजस्व जोखिम और परियोजना का खराब प्रदर्शन की समस्या।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans:(d)

3. चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध 'विशाखा वाद दिशा-निर्देशों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कार्यस्थल पर होने वाले यौन-उत्पीड़न के खिलाफ कुछ निर्देश जारी किए थे।

2. इसमें निर्देश दिया गया कि नियोक्ताओं को एक शिकायत समिति स्थापित करनी चाहिए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखेगी।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(b)

4. हाल ही में चर्चा में रहे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के अनुसार 'कार्यस्थल' के रूप में निम्नलिखित कौन-सा नहीं है?

(a) राजनीतिक दल

(b) निजी घर

(c) अस्पताल

(d) निजी उद्यम

Ans:(a)

5. 'उदारीकरण के बाद से अमेरिका को भारतीय निर्यात का ट्रेंड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वित्त वर्ष 2023-24 तक, भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 18 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 1991-92 में 16.4 प्रतिशत से बढ़ा है।
2. वित्त वर्ष 2023-24 में 77.5 अरब डॉलर के बराबर है, जो पिछले 30 वर्षों में 10.3 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की वृद्धि दर को दर्शाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)